Jh nqxkZ ekrk efUnj U;kl gkVdksVh rglhy tqCcy] ftyk f'keyk fgekpy izns'k ds ys[kk esa ikbZ xbZ vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj

Ø0l0	iSjk la[;k	vfu;ferrk dk laf{kIr lkj
1	6	(₹1,48,203 / – अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष)
2	9	(₹95,874 / –की राशि दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष)
3	10	(मन्दिर सराय भवन से किराये के रूप में ₹2,69,362 / –की कम वसूली)
4	12	(₹1,74,494 / –की राशि का अनुपयोगी व्यय)
5	13	(निर्माण कार्य बिलों से संविदाकारों से ₹43,183 / –की बिक्री कर की कटौती न करना)
6	14	(₹4,75,074 / –के सामान का क्रय बिना निविदाएं मंगवाए करना)
7	15,16,17	(संविदाकार को ₹17,324 / –की राशि का अधिक भुगतान)
8	18	(₹1,90,36,829 / –की राशि के निर्माण कार्यों का बिना अनुमान / प्राक्कलन तैयार किए ही करवाना)
9	19	(419.62 किलोग्राम सरिया का दुरूपयोग)
10	22	(हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णयों को लागू न करना)
11	23	(मन्दिरों के (Assets) की प्रत्यक्ष सत्यापना न करना)

Jh nqxkZ ekrk efUnj U;kl gkVdksVh] rglhy tqCcy] ftyk f'keyk fgekpy izns'k ds ys[kksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnuA

vof/k 01-01-2006 ls 31-12-2009

लेखा परीक्षणाधीन अवधि के दौरान श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी में निम्नलिखित अध्यक्ष व सचिव तैनात थे :–

v/;{k

Øe la[;k	v/;{k dk uke	rSukrh dh vof/k
1	अमरजीत सिंह, एस0डी0एम0 रोहड़ू	01.01.2006 से 30.10.2007
2	संदीप कुमार, एस0डी0एम0 रोहड़ू	02.11.2007 से 11.01.2008
3	एम0एल0 शर्मा, एस0डी0एम0 रोहड़ू	28.01.2008 से 18.08.2008
4	संजय शर्मा, एस0डी0एम0 रोहड़ू	23.09.2008 से 10.03.2009
5	वीर0आर0 कमल, एस0डी0एम0 रोहड़ू	16.03.2009 से 31.12.2009

lfpo

1	देवेन्द्र कालटा, तहसीलदार जुब्बल	01.01.06 से 08.05.2006
2	ओ0पी0 ठाकुर, तहसीलदार जुब्बल	09.05.2006 से 10.10.2007
3	सिद्धार्थ आचार्य, तहसीलदार जुब्बल	19.10.2007 से 31.12.2009

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न बकाया पैरों की अनुपालना के सत्यापनोपरान्त शेष बचे पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बकाया पैरों के निष्पादन हेतु शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिष्चित करें :–

¼d½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 8@84 ls 3@95 rd

1	पैरा 8(क)	समाप्त	(आवष्यक अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
2	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 8(ग)	समाप्त	(अग्रिम का आवष्यक समायोजन उपरान्त)
4	पैरा 8(घ)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

5	पैरा 8(ङ)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
6	पैरा 8(च)	समाप्त	(सक्षम न्यासियों के प्रमाण पत्र अनुसार)
7	पैरा 8(छ)	समाप्त	(आवष्यक औपचारिकताएं व रसीद संख्या 013 द्वारा ₹42/–जमा करने पर)
8	पैरा 8(छ)(2)	समाप्त	(रसीद संख्या 013 दिनांक 26.11.10 द्वारा ₹50/–जमा किए गए)
9	पैरा 8(ज)	अनिर्णीत	
10	पैरा 8(झ)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
11	पैरा 8(ट)	अनिर्णीत	
12	पैरा 8(ढ)	समाप्त	(आवष्यक अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
13	पैरा 8(ण)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
14	पैरा 8(त)	अनिर्णीत	
15	पैरा 8(थ)	अनिर्णीत	
16	पैरा 8(द)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
17	पैरा 8(प)	अनिर्णीत	
18	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
19	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत	
21	पैरा 9(घ)(1) से (7)	अनिर्णीत	
22	पैरा 9(ङ)	अनिर्णीत	
23	पैरा 9(च)	अनिर्णीत	
24	पैरा 9(ज)	अनिर्णीत	
25	पैरा 9(ञ)	अनिर्णीत	
26	पैरा 9(ट)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
27	पैरा 9(ठ)	समाप्त	(स्टॉक प्रविष्टि एवं उपयोगिता जांचने उपरान्त)
28	पैरा 9(ड)	अनिर्णीत	
29	पैरा 9(ढ)(1) से (4)	अनिर्णीत	
30	पैरा 11(क)	समाप्त	(सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टि अनुसार)
31	पैरा 12(घ)	अनिर्णीत	
32	पैरा 12(ङ)	समाप्त	(अन्तिम शेष का सत्यापन बैंक खातों से किया गया)

33	पैरा 12(च)	समाप्त	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त)
34	पैरा 12(छ)	समाप्त	(कार्यरत कर्मचारियों का वेतन समय अनुसार बढ़ाया है।)

¼[k½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 4@95 l 12@2003 rd

1	पैरा 6(ग)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
2	पैरा 7	अनिर्णीत	
3	पैरा 8	अनिर्णीत	
4	पैरा 9	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
5	पैरा 10	अनिर्णीत	
6	पैरा 11	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
7	पैरा 12	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
8	पैरा 14	अनिर्णीत	
9	पैरा 15	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
10	पैरा 16	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
11	पैरा 17	अनिर्णीत	
12	पैरा 18	समाप्त	(न्यास की स्वीकृति उपरान्त)
13	पैरा 19	अनिर्णीत	
14	पैरा 20	समाप्त	(रसीद संख्या 020, दिनांक 29.11.10 द्वारा जमा)
15	पैरा 21	समाप्त	(आवष्यक अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
16	पैरा 22	समाप्त	(आवष्यक अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
17	पैरा 23	समाप्त	(आवष्यक अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
18	पैरा 24	अनिर्णीत	
19	पैरा 25	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
20	पैरा 26	अनिर्णीत	
21	पैरा 27	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
22	पैरा 28	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
23	पैरा 29	समाप्त	(₹91 / –रसीद संख्याः 021, दिनांक 29.11.10 द्वारा जमा)
24	पैरा 30	अनिर्णीत	
25	पैरा 31	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर व अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)

26	पैरा 32	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
27	पैरा 33	समाप्त	(सम्बन्धित सामान की उपयोगिता उपरान्त)
28	पैरा 34	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
29	पैरा 35	अनिर्णीत	
30	पैरा 36	अनिर्णीत	
31	पैरा 37(क)	अनिर्णीत	
32	पैरा 37(ख)	समाप्त	(₹64/– की राशि रसीद संख्या 1838, दिनांक 08.08.10 द्वारा जमा)
33	पैरा 38	अनिर्णीत	
34	पैरा 39	निर्णीत	
35	पैरा 40	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
36	पैरा 41	अनिर्णीत	
37	पैरा 42	अनिर्णीत	
38	पैरा 43(ख)	अनिर्णीत	
39	पैरा 43(ग)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर व भविष्य हेतु अनुपालना के दृष्टिगत)
40	पैरा 43(घ)	अनिर्णीत	
41	पैरा 46	अनिर्णीत	
42	पैरा 47	अनिर्णीत	

¼x½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 01@2004 l 12@2005 rd

1	पैरा 3	समाप्त	(अंकेक्षण शुल्क ड्राफ्ट संख्या 26484, दिनांक 05.06.2008 को भेजा गया)
2	पैरा 7	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
3	पैरा 8	समाप्त	(निर्माण कार्यों के प्रगति के कारण बचत बैंक में राशि रखी गई)
4	पैरा 9	समाप्त	(आवष्यक हस्ताक्षर कर दिए गए हैं)
5	पैरा 10	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
6	पैरा 11	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
7	पैरा 12	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
8	पैरा 13	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
9	पैरा 14	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)

10	पैरा 15	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
11	पैरा 16	समाप्त	(प्राप्त राशि को नियमानुसार जमा किया जा रहा है)
12	पैरा 17	अनिर्णीत	
13	पैरा 18	समाप्त	(आवष्यक अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
14	पैरा 19	समाप्त	(आवष्यक अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
15	पैरा 20	अनिर्णीत	
16	पैरा 21	समाप्त	(सम्बन्धित मस्ट्रोलों में कार्य प्रगति की सत्यापना उपरान्त)
17	पैरा 22	निर्णीत	
18	पैरा 23	अनिर्णीत	
19	पैरा 24	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
20	पैरा 25	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
21	पैरा 26	समाप्त	(न्यास की बैठक की स्वीकृति अनुसार)
22	पैरा 27	अनिर्णीत	
23	पैरा 28	अनिर्णीत	
24	पैरा 29	समाप्त	(आवष्यक अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी के लेखों अवधि 01.01.2006 से 31.12.2009 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री शेर सिंह कायथ, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) व श्री रविन्दर सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29.07.2010 से 09.08.2010 व 15.11.10 से 30.11.10 तक हाटकोटी में किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु मास 5/06, 06/06, 06/07, 08/07, 07/08, 09/08, 5/09 व 12/09 का चयन किया गया जिस के परिणामों को आगामी पैरों में सम्मिलित किया गया है। सम्बन्धित पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन न्यास के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग न्यास द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना न उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 vd{k.k 'kYd %&

श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी के लेखों अवधि 01.01.06 से 31.12.09 तक के अंकेक्षण हेतु ₹21,300/–की राशि अंकेक्षण शुल्क की बनती है। उपरोक्त राशि को सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्याः 972, दिनांक 25.11.10 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr %&

(क) श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी की अवधि 01.01.2006 से 31.12.2009 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

foÙkh; o"k	ikjfEHkd 'k"k	o"k e vk;	o"k e C;kt	dy vk;	o"k e 0;;	vfUre 'k"k
2006	2830840	8613350	111337	11555527	11372514	183013
2007	183013	18914997	144062	19242072	9418905	9823167
2008	9823167	5988212	97665	15909044	3434578	12474466
2009	12474466	7127610	517102.29	20119178.29	5927920	14191258.29

fnukd 31-12-2009 dk vfUre 'k"k dk fooj.k %&

(i)	स्टेट बैंक आफ इण्डिया सावड़ा के बचत खाता संख्या 01170050422 में जमा राशि	6506811.29
(ii)	यूको बैंक अन्टी के बचत खाता संख्या 1882 में जमा राशि	8,630.00
(iii)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सरस्वती नगर के बचत खाता संख्या 2 में जमा राशि	1513731.00
(iv)	सावधि जमा योजना संख्या 334736, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सावड़ा में निवेषित राशि	4000000.00
(v)	सावधि जमा योजना संख्या 434734, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सावड़ा में निवेषित राशि	2162086.00
	dy tek jkf'k	14191258-29

¼[k½ lkuk o pknh dh foÙkh; fLFkfr %&

मन्दिर न्यास हाटकोटी की अवधि 01.01.2006 से 31.12.2009 तक सोना व चांदी की वित्तीय स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' में I व II संलग्न की गई है।

5 lkof/k tek fuos'k %&

श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी ने दिनांक 31.12.2009 तक निम्नलिखित राशियाँ सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेश की गई थी। निवेश की गई राशियों को परिपक्वता की तिथि को पुनः निवेश/आहरण करना सुनिष्चित करें :—

cSd dk uke	,Q-Mh- vkj- l0	fuosf'kr jkf'k ¼₹½	fuos'k djus dh frfFk	C;kt nj	ifjiDork jkf'k	ifjiDork frfFk
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सावड़ा	334736	4000000	27.02.08	8.5%	4636622	27.02.10
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सावड़ा	434734	2162086	27.02.09	8.5%	2351805	27.02.10
		₹6162086				

6 vfxze %&

मन्दिर न्यास के सदस्यों, कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के नाम पर दिनांक 31.12.2009 को ₹1,48,203/—की राशि अग्रिम के रूप में समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी जिस का ब्यौरा निम्न प्रकार से है। इन अग्रिम राशियों की नियमानुसार समय पर वसूली की जानी अनिवाग्र थी तथा समय पर वसूली न करना आपत्तिजनक एवं अनियमित है। अतः शेष बकाया राशियों को तुरन्त वसूल करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :—

Øe la[;k	deZpkjh dk uke ftls vfxze Hkqxrku fd;k x;k	fnukad 31-12-2009 dks lek;kstu grq 'ks"k jkf'k
1	मनोज, सफाई कर्मचारी	7000/—
2	जय लाल, लिपिक	1346/—
3	जगदीश चन्द, पुजारी	15000/—
4	बलवान, मिस्त्री	12000/—
5	भगवान सिंह	10/—
6	धमेन्द्र, मिस्त्री	75000/—
7	सुरेश, मिस्त्री	802/—
8	सराय निर्माण कमेटी	8373/—
9	भण्डारी मन्दिर	20000/—

10	तहसील टैम्पल कमेटी	8647/–
11	मनेजर सिंह	25/–
	dqy ;ksx	1]48]203@&

7 ljdkj ls izkIr vuqnku %&

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान ₹65,21,000/–की राशि मन्दिर न्यास को विभिन्न कार्यों के निर्माण हेतु प्राप्त हुई थी जिस में से ₹34,00,000/–की राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार के सम्बन्धित विभागों को भेज दिए गए थे। मन्दिर न्यास निम्न विवरणानुसार शेष बकाया राशि ₹31,21,000/–अनुदान की राशि का उपयोग निर्धारित समय में स्वीकृत पत्रों में दी गई शर्तों के अनुसार करना व व्यय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र समयबद्ध रूप से सरकार को प्रेषित करना सुनिष्चित करें :–

Ø0 l0	jkdM i"B	fnukad	jkf'k ¼₹½	tgk¡ ls vuqnku izkIr fd;k x;k	ftl fuekZ.k dk;Z gsrq izkIr gqvk
1	26	14.08.07	1000000/–	एस.डी.एम. रोहडू सांसद निधि	रसोई निर्माण हेतु
2	39	05.10.07	1100000/–	एस.डी.एम. रोहडू सांसद निधि	रसोई निर्माण हेतु
3	21	17.07.08	1021000/–	एस.डी.एम. रोहडू भाषा संस्कृति विभाग	पार्क के निर्माण हेतु
		dqy ;ksx	3121000@&		

8 ¼d½ osru ij O;; %&

श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोअी द्वारा वेतन पर किए गए व्यय का वर्षवार संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है लेखा परीक्षा अवधि 01.01.2006 से 31.12.2009 तक प्राप्त कुल आय व वेतन पर किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार था :–

o"kZ	efUnj U;kl dh vk; ¼₹½	osru ij fd;k x;k O;; ¼₹½	osru ij vk; dk ftruk izfr'kr O;; fd;k x;k
2006	8613350/–	502818/–	5.84%
2007	14914997/–	543500/–	3.64%
2008	4967212/–	630000/–	12.68%
2009	5627610/–	668850/–	11.89%

अवधि 01.01.2006 से 31.12.2009 तक सरकार से ₹65,21,000/–अनुदान प्राप्त हुआ। वेतन पर व्यय आय के उपरोक्त तुलनान्तमक विवरण अनुसार तर्क संगत था।

(ख) मन्दिर न्यास की सम्पति व लेखों के रख–रखाव तथा सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जिनको मासिक रूप से नियमित वेतन दिया जाता है। दिनांक 31.12.2009 को निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत थे :–

Øe l[;k	deZpkjh dk uke	in	dqy ekfld osru ¼₹½
1	हरिचन्द	भण्डारी मन्दिर	4600/–
2	षिव दत्त	चौकीदार सराय	3450/–
3	लायक राम	चौकीदार सराय	4025/–
4	कुल्जा/जिवनु	बाजगी	2300/–
5	रकमू	सफाई कर्मचारी मन्दिर	2300/–
6	षिषी राम	चौकीदार मन्दिर रात्रि	3450/–
7	शामा नन्द	चौकीदार मन्दिर दिन में	3450/–
8	जय लाल	लिपिक	4025/–
9	ओम प्रकाश	माली	1725/–
10	तारा सिंह	चौकीदार मन्दिर परिसर रात्री	3450/–
11	मनोज कुमार	सफाई कर्मचारी सराय	2875/–
12	हरबन्स कुमार	सुपरवाइजर	3450/–
13	चमन लाल	चौकीदार बगीचा	3450/–
14	अनूप कुमार	चौकीदार बगीचा	3450/–
15	लोकिन्दर	सफाई कर्मचारी मन्दिर परिसर	2300/–
16	राकेश	सफाई कर्मचारी सराय	2300/–
17	भोपिन्दर	सफाई कर्मचारी सराय	2300/–
18	राजेश कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता	2875/–
19	दिनेश	इलैक्ट्रीषन	1150/–
			56925@&

मन्दिर न्यास के प्रस्ताव संख्या 10, दिनांक 15.04.2009 द्वारा कर्मचारियों को 15% की वेतन बढ़ौतरी दिनांक 01.04.2009 से दी गई थी।

9 ₹95874@&dh jkf'k nqdkuksa dk fdjk;k olwy u djuk ¼&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित किराएदारों से ₹95874/–की राशि दुकानों के किराए के रूप में दिनांक 31.12.2009 को वसूली हेतु शेष थी जिसकी वसूली अविलम्ब करके मन्दिर न्यास के खाते में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए तथा इकरारनामों में दी गई शर्तों के अनुसार किराए का भुगतान विलम्ब से करने की स्थिति में 12 प्रतिषत की दर से दण्ड ब्याज की वसूली भी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

Øe l[;k	fdjk;snkj dk uke	olwyh ;ksX; jkf'k ¼₹½	eksx ,oa iksfLr jftLVj i"B
1	राज टैन्ट हाऊस	3520/–	1
2	दीपक वालिया	800/–	23
3	संतोष कुमार	11140/–	30
4	संधीरा	2400/–	32
5	हरिन्द्र	21564/–	42
6	घन श्याम	1600/–	43
7	सुबोघ	1770/–	54
8	षिव सिंह	880/–	55
9	राकेश मोहन	39880/–	71
10	कान्ता	12320/–	42
		95874@&	

10 efUnj ljk; Hkou ls fdjk;s dh :i esa 2]69]362@&dh de olwyh ¼&

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर सराय भवन के अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सराय भवन के किराये व हाल के आबंटन पर किराये की वसूली निर्धारित दरों से कम दर पर की गई तथा हाल व कमरों का आबंटन दैनिक आधार पर न करके घण्टों के आधार पर किया गया जबकि मन्दिर न्यास के प्रस्ताव में घण्टों के आधार पर हाल ही के कमरों को किराये पर देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। फलस्वरूप इस प्रकार निर्धारित दरों से कम दर पर किराये की प्राप्ति से मन्दिर न्यास को ₹2,69,362/–की हानि हुई है, जिसका ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त शामिल राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवायें। कम वूसली का विवरण निम्न प्रकार से है :–

fnukad	uke ftls gky o	gky o dejs dk	dqy jkf'k	izkIr	de olwyh

	dejs fdjk;s ij fn, x,	fooj.k tks fdjk;s ij fn, x,	tks iklr dh tkuh vis{kr Fkh	jkf'k	xbZ jkf'k
12.05.06 से 13.05.06	उप मण्डल अधिकारी रोहड़ू	22 कमरे	3400/—	1400/—	2000/—
09.06.06 से 10.06.06	डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल साबड़ा	नया हाल व वी0 आई0पी0 कमरा नं 1	9000/—	6500/—	2500/—
07.10.06 से 08.10.06	आर.एस. चौहान	वी0आई0पी0 कमरा नं0—1, 2 घण्टे हेतु	3000/—	1000/—	2000/—
14.11.06	प्रिंसीपल डी.ए.वी	रिसेपषन हॉल	15000/—	3000/—	12000/—
07.02.07	रतिरफ ठाकुर	डाईनिंग किचन हॉल दिन—2 हेतु	4000/—	2000/—	2000/—
07.03.07	विनोद डोगरा	डाईनिंग किचन हॉल दिन—2 हेतु	4000/—	1500/—	2500/—
11.03.07	सैन राम रंजन	डाईनिंग किचन हॉल दिन—2 हेतु	4000/—	1500/—	2500/—
26.04.07	लायक राम	डाईनिंग किचन हॉल दिन—2 हेतु	4000/—	2000/—	2000/—
16.05.07	डी0ए0बी0 स्कूल	रिसेपषन हॉल	15000/—	5000/—	10000/—
25.06.07	षिव लाल	डाईनिंग हॉल	4000/—	2000/—	2000/—
26.11.07	हीरा नन्द शर्मा	रिसेपषन हॉल दिन—2 हेतु	15000/—	7500/—	7500/—
11.03.08 से 16.03.08	स्टेट सीवर सेन्टर षिमला	डाईनिंग हॉल 6 दिन 30 घण्टे हेतु	24000/—	3600/—	20400/—
19.03.08	स्पेश	डाईनिंग हॉल 3 घण्टे हेतु	4000/—	360/—	3640/—
19.03.08	राजेन्द्र	रिसेपषन हॉल 4.5 घण्टे हेतु	15000/—	2813/—	12187/—
26.03.08	एस0सी0 पब्बर वैली	रिसेपषन हॉल 4 घण्टे हेतु	15000/—	2500/—	12500/—
13.04.08	जगदीप	रिसेपषन हॉल 4 घण्टे हेतु	15000/—	2500/—	12500/—

13.04.08	प्रेम शर्मा	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	15000/—	7500/—	7500/—
16.07.08	लायक राम	डाईनिंग हॉल दिन 2 हेतु	4000/—	2000/—	2000/—
21.07.08	मोहन आजाद	डाईनिंग हॉल दिन 2 हेतु	4000/—	1500/—	2500/—
14.08.08	भाग चन्द	डाईनिंग हॉल 6 घण्टे हेतु	4000/—	720/—	3280/—
10.09.08	मोहन लाल	डाईनिंग किचन हॉल 15 घण्टे हेतु	4000/—	1800/—	2200/—
09.11.08	गोबिन्द	डाईनिंग हॉल दो कमरों सहित	4300/—	3100/—	1200/—
04.12.08	डी0ए0बी0 स्कूल	डाईनिंग हॉल	4000/—	2875/—	1125/—
06.12.08	प्रमोद सिंह	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	15000/—	7500/—	7500/—
10.12.08	गोपाल सिंह	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	15000/—	7500/—	7500/—
25.02.09	कांग्रेस	डाईनिंग हॉल 3 घण्टे हेतु	4000/—	360/—	3640/—
27.02.09	मेहर सिंह ठाकुर	रिसेपषन हॉल 7 घण्टे हेतु	15000/—	4375/—	10625/—
15.03.09	राज कुमार	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	15000/—	7500/—	7500/—
20.03.09	अर्जुन ठाकुर	डाईनिंग हॉल 3 घण्टे हेतु	4000/—	360/—	3640/—
11.04.09	प्रदीप गुप्ता	कमरा नं0 201 से 204, 206 से 208, 109,110 व 116	1275/—	1200/—	75/—
14.04.09	गणेश डोगरा	डाईनिंग हॉल	4000/—	1000/—	3000/—
12.05.09	दलीप सिंह चौहान	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	15000/—	7500/—	7500/—

12.06.09	रतन लाल	रिसेपषन हॉल दिन 6 घण्टे हेतु	15000/–	3750/–	11250/–
19.06.09	बलवन्त सिंह	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	15000/–	7500/–	7500/–
10.07.09	मोहन सिंह	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	15000/–	7500/–	7500/–
02.11.09	प्रषान्त ठाकुर	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	25000/–	12500/–	12500/–
07.06.06	लौहरी सिंह	डाईनिंग हॉल 5 घण्टे हेतु	2500/–	500/–	2000/–
18.02.06	ज्ञान सिंह	डाईनिंग हॉल 2 घण्टे हेतु	2500/–	200/–	2300/–
22.02.06	चमन शर्मा	डाईनिंग हॉल 2 घण्टे हेतु	2500/–	200/–	2300/–
26.11.09	कृष्ण लाल	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	25000/–	12500/–	12500/–
07.12.09	अमन ठाकुर	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	25000/–	12500/–	12500/–
08.12.09	ज्ञान सिंह	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	15000/–	7500/–	7500/–
12.12.09	विषम्बर दुल्आ	रिसेपषन हॉल दिन 2 हेतु	25000/–	12500/–	12500/–
					d|y tkM+ 269362@&

11 f’koky; nku ik= dh ₹1110@&dh jkf'k tek u djokuk ¼&

अंकेक्षण के दौरान षिवालय दान पात्र रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 17.10.06 को षिवालय के दान पात्र से ₹8866/–की राशि प्राप्त हुई जबकि रोकड़ बही में केवल ₹7756/–की राशि की प्रविष्टि की गई। इस प्रकार मन्दिर न्यास की ₹1110/–की राशि कम प्राप्त दर्षाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

12 ₹1]74]494@&dh jkf'k dk vuqi;ksxh O;; %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान वाऊचरों द्वारा विज्ञापन हेतु छोटी–छोटी पत्रिकाओं को भुगतान किया गया था परन्तु विज्ञापन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह सुनिष्चित नहीं किया जा सका कि वास्तव में जो भुगतान किया गया था उस राशि का उपयोग विज्ञापन हेतु किया गया था अथवा नहीं। इस प्रकार मन्दिर न्यास से ₹1,74,494/–की राशि विज्ञापन पर व्यय करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अतः विज्ञापन पर किए गए व्यय से सम्बन्धित पत्रिका, अखबार, स्मारिका इत्यादि में दिए गए विज्ञापन की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिष्चित की जाए और भविष्य में अनुपयोगी व्यय पर अंकुश लगाया जाए ताकि न्यास निधि का दुरूपयोग न हो :–

jkdM+ i`0	okÅpj l0	fnukd	Hkqxrku dh xbZ jkf'k ¼₹½	ftl s Hkqxrku dh xbZ
18	104	27.05.06	6994/–	अमर उजाला अखबार
30	239	13.06.06	10000/–	स्मारिका युवा मण्डल मण्ढोल
39	295	17.07.06	7500/–	हिमाचल राज्य पत्रकार संघ
51	353	30.08.06	4000/–	हिमाचल पाठन समाचार
58	423	25.09.06	6000/–	विज्ञापन सिटी चैनल
68	503	19.10.06	6500/–	विज्ञापन सिटी चैनल
86	656	05.02.07	6000/–	विज्ञापन सिटी चैनल
93	746	17.03.07	10000/–	बलैक पेन्थर कल्ब रोहडू
93	746	17.03.07	5000/–	ज्ञान विज्ञान षिमला
12	61	03.06.07	10000/–	स्मारिका युवा मण्डल मण्ढोल
12	61	03.06.07	10000/–	रैड क्रॉस मेला चौपाल
16	92	16.06.07	10000/–	लवी मेला स्मारिका रामपुर
22	147	27.07.07	10000/–	स्मारिका रोहडू क्रिकेट एसोसिएषन
37	296	05.10.07	15500/–	हिमाचल षिक्षित बेरोजगार युवा समिति
49	332	03.12.08	3000/–	जय हिमाचल साप्ताहिक
64	425	03.03.09	15000/–	स्मारिका लवी मेला रामपुर

7	9	16.04.09	3000 ⁄ —	जय हिमाचल विज्ञापन
10	34	02.05.09	5000 ⁄ —	स्मारिका षिमला गृष्मोत्सव
21	106	17.06.09	15000 ⁄ —	स्मारिका षिमला गृष्मोत्सव
38	214	04.10.09	3000 ⁄ —	जय हिमाचल पत्रिका
47	248	20.11.09	10000 ⁄ —	लवी मेला स्मारिका रामपुर
52	285	25.12.09	3000 ⁄ —	जय हिमाचल विज्ञापन
		dqy ;ksx	1]74]494@&	

13 lafonkdkjksa ls ₹43]183@&dh fcØhdj dh dVkSrh@olwyh u djuk %&

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्रीकर अधिनियम, 1968 की धारा 12(ए) के अन्तर्गत संविदाकार के प्रत्येक चलत बिल में से कुल निर्माण कार्य निष्पादन लागत के 2 प्रतिषत की दर से बिक्रीकर की वसूली की जानी आपेक्षित थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु संविदाकारों को चलत बिलों का भुगतान किया गया था लेकिन उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 2 प्रतिषत की दर से बिक्रीकर की वसूली ⁄ कटौती नहीं की गई थी जो कि अनियमित है। इस अनियमितता बारे कारणों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सरकारी राजस्व को बिक्री कर के रूप में हुई हानि की राशियों ₹43,183 ⁄ —की राशियों की उचित माध्यम से शीघ्र वसूली सुनिष्चित की जाए :—

ok0 la0	fnukad	jkf'k ¼₹½	fcØhdj dh dVkSrh dh tkuh okafNr Fkh ¼₹½	lafonkdkj dk uke	fuekZ.k dk;Z dk uke
60	20.05.06	35321 ⁄ —	706 ⁄ —	खुषी राम	रिटेनिंग वॉल
61	20.05.06	31670 ⁄ —	633 ⁄ —	फूल मुहम्मद	सराय भवन में अतिरिक्त अकोमोडेषन
200	04.06.06	148266 ⁄ —	2965 ⁄ —	मेहर सिंह	ब्राऊंडरी वॉल
253	16.06.06	43334 ⁄ —	867 ⁄ —	पार्कसन इंजीनियर	फालस सिलिंग सराय भवन
327	18.08.06	91940 ⁄ —	1839 ⁄ —	भीम रंग साज	रंग रोगन सराय
500	19.10.06	155562 ⁄ —	3111 ⁄ —	अमरा स्टोर रोहडू	बिजली फिटिंग
504	19.10.06	22000 ⁄ —	440 ⁄ —	के0के0 इंजीनियर	कोटा स्टोन

759	03.04.07	150862/–	3017/–	अमरा स्टोर	बिजली फिटिंग
72	11.06.07	1480271/–	29605/–	के0के0 इंजीनियर रोहड़ू	सराय भवन
		d|y ;kx	43183@&		

14 ₹4]75]074@&dh jkf'k d lkeku dk fcuk fufonk,a exok, Ø; djuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित वाऊचरों द्वारा सामान/वस्तुओं का क्रय बिना निविदाएं मंगवाए खुले बाजार से किया गया था जबकि इन्हें निविदाएं मंगवाकर या दर संविदा के आधार पर क्रय किया जाना चाहिए था। अतः यह पड़ताल नहीं की जा सकी कि वास्तव में सामान/वस्तुओं का न्यूनतम बाजार दरों पर क्रय किया गया था। इस अनियमितता का ठोस तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए व इस प्रकार अनियमितता से किए गए भुगतान बारे सक्षम अधिकारी/न्यास से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके किए गए व्यय को नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में विविध सामान क्रय करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जानी सुनिष्चित की जाए ताकि बाजार की दर प्रतियोगिता का लाभ उठा कर मन्दिर न्यास को लाभ पहुंचाया जा सके।

ok0 l0	fnukd	jkf'k ¼₹½	lkeku dk fooj.k	ftl ls lkeku Ø; fd;k x;k
5	16.04.2009	33,785/–	बिजली का सामान	अमरा स्टोर रोहड़ू
78	15.05.2008	28,400/–	रेत व पत्थर	राजु ठेकेदार
242	18.09.2007	40,300/–	सेनेटरी फिटिंग	बनारसीदास एण्ड कं0 परवाणू
107	08.07.2006	51,787/–	टी 40x5mm	प्रेम स्टील, परवाणू
106	08.07.2006	1,97,390/–	आयरन एंगल, चेनल	ओम सन्ज परवाणू
130	27.05.2006	31,042/–	लकड़ी फिटिंग का सामान	ज्ञान चन्द अषोक कुमार चण्डीगढ़
114	27.05.2006	35,500/–	कोटा स्टोन	बनारसी दास परवाणू
101	27.05.2006	56,870/–	पेन्ट का सामान	निर्मल पेन्टस चण्डीगढ़
	d|y ;kx	4]75]074@&		

15 okÅpj la[;k 327] fnukd 18-08-2006] jkf'k ₹91]940@&

₹91,940/–की राशि का भुगतान श्री भीम सिंह रंग साज को सराय भवन में रंग रोगन हेतु किया गया। उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल, जिस की रिकॉर्ड एवं लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 12 पृष्ठ 40 से 47 तक की गई थी, की पड़ताल करने पर पाया गया कि मद

संख्या 11 ''फिनिषिंग वाल विद वाटर प्रुफिंग सीमेन्ट पेन्ट'' की पृष्ठ–49 पर निम्न प्रकार गणना की गई थी।

फ्रंट बैक साईड	2 x 2 (55.10 x 3.05)	= 772.22 वर्ग मीटर
वास्तव में जो मात्रा ली जानी थी	2 x 2 (55.10 x 3.05)	= 672.22 वर्ग मीटर

अधिक मात्रा ली गई = 772.22 – 672.22 = 100 वर्ग मीटर

इस प्रकार 100 वर्ग मीटर कार्य मात्रा का ₹9.40/–प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹940/– तथा ₹178.75 प्रतिषत प्रीमियम के साथ ₹2620/–की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिस की उचित माध्यम से शीघ्र वसूली करके मन्दिर निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 okÅpj l[;k 72] fnukd 11-06-2007] jkf'k ₹14]80]271@&

₹14,80,271/–की राशि का भुगतान मैं0 के0के0 इंजीनियरस रोहडू को सराय भवन के अतिरिक्त वी0आई0पी0 व बहु उद्देषीय हाल विद स्टील ट्रोस रूफ एण्ड सी0जी0आई0 हेतु किया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य की प्रथम एवं अन्तिम बिल जिस की रिकॉर्ड एवं लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 11 पृष्ठ 55 से 71 तक की गई थी, की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य की मद संख्या 1 ''स्टील वर्क बैलडेड इन बिलटअप सैक्षन'' की पृष्ठ–53 पर 50 x 50 x 6 mm के एंगल की मात्रा निम्न प्रकार ली गई थी :–

	1 x 11 x2.75 = 121.00 रनिंग मीटर
वास्तव में जो मात्रा ली जानी थी	= 30.25 रनिंग मीटर
अधिक मात्रा ली गई	= 90.75 रनिंग मीटर

50 x 50 x 6mm की कन्वरषन दर = 4.50 किलोग्राम प्रति रनिंग मीटर

कुल कार्य मात्रा = 90.75 x 4.50=408.38 किलोग्राम

इस प्रकार 408.38 किलोग्राम कार्य मात्रा का ₹34/–प्रति किलोग्राम की दर से ₹13,885/–की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिस की उचित माध्यम से शीघ्र वसूली सुनिष्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 okÅpj l[;k 421] fnukd 25-02-2009] jkf'k ₹39]395@&

₹39,395/–की राशि का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद रोहडु को सराय भवन के बिजली के बिल खाता संख्या एच0एन0डी0सी0–1 का मास दिसम्बर, 2008 व जनवरी, 2009 का किया गया। उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि बिजली के बिल की निर्धारित जमा

तिथि 19.02.2009 थी तथा भुगतान ₹38,636/–की राशि का किया जाना था इस प्रकार निर्धारित तिथि के उपरान्त भुगतान करने के कारण सरचार्ज के रूप में ₹759/–की राशि का अधिक भुगतान किया गया। अतः ₹759/–की राशि के अधिक भुगतान की चूककर्त्ता से शीघ्र वसूली करके मन्दिर खाते में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 ¼d½ लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि दिसम्बर 2009 तक निम्न विवरणानुसार 1,90,36,829/–के निर्माण कार्यों जिस का वर्षवार व्यय इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' में दर्षाया गया है, न तो अनुमान/आंकलन तैयार किए गए थे तथा न ही तकनीकी अधिकारियों से स्वीकृति ही प्राप्त की गई थी जोकि अनियमित ही नहीं परन्तु आपत्तिजनक भी है। निर्माण कार्य नियमुनसार अनुमान/प्राक्कलन तैयार किए बिना तथा तकनीकी अधिकारी से अनुमोदन करवाए बिना निष्पादन किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः निर्माण कार्य के अनुमान/प्राक्कलन तैयार करके तकनीकी अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके अंकेक्षण को प्रस्तुत किए जाने सुनिष्चित किए जाएं व भविष्य में मन्दिर निर्माण कार्य का व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्माण कार्य व्यय के समरूप हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्माण कार्य नियमों के अनुसार ही किए जाने सुनिष्चित करें :–

Øe la[;k	fuekZ.k dk;Z dk uke	fnukad 31-03-2010 rd dqy O;;
1	षिवाला मुरम्मत	47159/–
2	व्यवसायिक परिसर	659775/–
3	दिवान खाना निर्माण	173006/–
4	सराय निर्माण	10097669/–
5	पौड़िया निर्माण	108598/–
6	सेल्फ निर्माण	18994/–
7	कार पार्किंग	334518/–
8	मन्दिर परिसर	990493/–
9	रसोई मन्दिर	68038/–
10	मुरम्मत मकानात	612559/–
11	स्टांग रूम	49618/–
12	रसोई ब्लॉक	3569563/–
13	दिवार बांऊडरी	2028119/–
14	टांकी स्टेड व पेयजल	92705/–

15	पार्क निर्माण	37581/—
16	शौचालय निर्माण	148434/—
	dqy ;kx	19036829@&

¼[k½ इसके अतिरिक्त उपरोक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन संविदाकारों/मन्दिर न्यास मजदूरों द्वारा लेबर रेट पर किया गया है और समस्त निर्माण सामग्री जैसे सरिया, सीमेन्ट, बजरी इमारती लकड़ी, रेत इत्यादि मन्दिर न्यास द्वारा जारी किया गया था परन्तु निर्माण के चलत/अन्तिम बिलों के साथ निर्माण सामग्री के उपयोग सम्बन्धी विवरणिका संलग्न नहीं की गई थी जिसके अभाव में जारी किए गए सामान/निर्माण सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी जो कि अनियमित है निर्माण कार्य के एम0ए0एस0 रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त रजिस्टर में भी मदवार/माप पुस्तिका अनुसार सामान/निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं दर्षाया गया जिससे निर्माण कार्य में शेष बची निर्माण सामग्री का पता नहीं लग सका। यह अनियमित प्रक्रिया है। निर्माण कार्य को कितना सामान जारी किया गया, कितना उपयोग हुआ और कितना शेष बचा, का कोई भी विवरण उपलब्ध न था। अतः उपरोक्त अनियमित प्रक्रिया अपनाने के कारण सामान निर्माण के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह अनियमित मामला मन्दिर न्यास के उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवष्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है उन से अनुरोध है कि समस्त निर्माण कार्यों के अनुमान/प्राक्कलन तैयार किए जाऐं जिन्हें प्रषासनिक स्वीकृति के साथ—साथ तकनीकी अधिकारी से स्वीकृत करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य को जारी सामग्री के उपयोग सम्बन्धी विवरण भी अब तैयार किए जाएं तथा शेष बचे सामान को भण्डार को वापिस किया जाना सुनिष्चित किया जाए अन्यथा चूककर्त्ताओं से नियमानुसार वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

19 ₹14]267@&dh jkf'k d: 419-62 fdyks xke LVhy d: n|:i;kx dh lEHkkouk %&

निर्माण कार्य का नाम	सराय भवन रसोई निर्माण कार्य
एजैन्सी	विभागीय
माप पुस्तिका संख्याँ	14, पृष्ठ 14

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका 14, पृष्ठ 14 पर 8 एम0एम0 स्टीट के उपयोग की प्रविष्टियाँ की गई तथा 687.90 रनिंग मीटर स्टील की खपत किलोग्राम में दर्षायी गई तथा भुगतान किया गया जबकि H.P.P.W.D Schdule rate 1999 के अनुसार 8 एम0एम0 स्टील की खपत हेतु स्टील की रनिंग मी0 मात्रा को किलोग्राम में

परिवर्तन के लिए 0.39 फेक्टर का इस्तेमाल किया जाना था जिससे उक्त कार्य मे स्टील की खपत 268.28 किलोग्राम (687.90 x 0.39) बनती है जबकि माप पुस्तिका में 687.90 रनिंग मी0 हेतु 8 एम0एम0 स्टील की खपत 687.90 किलोग्राम दर्षायी गई जो कि नियमानुसार उचित नहीं है।

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य में 419.62 किलोग्राम (687.90 किलोग्राम – 268.28 किलो ग्राम) स्टील की अधिक खपत दर्षायी गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त स्टील की मात्रा की ₹34/–की दर से ₹14,267/–की वसूली करके अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवायें।

20 ljk; Hkou ds dejks o gky dk fdjk;k ij nsus dk fooj.k u n'kkZuk %&

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास सराय भवन के अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में रजिस्टर में कमरे व हाल को किराये पर देने का पूर्ण विवरण नहीं दर्षाया गया है, जैसे कि कितने कमरे व हाल किराये पर दिए गए तथा कौन–कौन से कमरे व हाल किराये पर दिए गए जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि आवासों को किराये पर देने के एवज़ में निर्धारित राशि प्राप्त हो रही है य नही।

अतः भविष्य हेतु परामर्ष दिया जाता है कि सराय भवन के आवास को किराये पर देने का पूर्ण विवरण सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा निम्न मामलों में विवरण न दर्षाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि वसूली के समर्थ में आवास को किराये पर देने का पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

vof/k	vkokl ftls vkcafVr fd;k x;k	izkIr jkf'k ¼₹½
13.05.2008	चुनाव पार्टी हेतु	10000/–
23.05.2009	चुनाव पार्टी हेतु	5430/–
30.05.09 से 07.06.09	आर्ट ऑफ लिविंग संस्था	21738/–

21 युको बैंक एन्टी तहसील जुब्बल के बचत खाता संख्या 1882 की मन्दिर न्यास द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। इस बचत खाते में न्यास के दिनांक 31.12.2009 को ₹8630/–जमा है। बैंक द्वारा समय–समय पर केवल ब्याज की अदायगी की जाती है। इस खाते में जमा ब्याज की राशि को रोकड़ बही में समय–समय पर दर्ज किया जाता है। उपरोक्त खाते में लेन–देन न होने के कारण बचत खाते को चालु रखने का कोई औचित्य नहीं है इसे तुरन्त बन्द करके समस्त जमा राशि को ब्याज सहित दूसरे बचत खाते में स्थानांतरण किया जाना सुनिष्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 fgekpy i:n'k ljdkj dh v/;{krk e fnukd 02-08-2008 dk fy, x, fu.k;k dk ykx u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2008 को मन्दिर प्रबन्धन व्यवस्था बारे जो निर्णय लिए गए थे उनका इस मन्दिर न्यास में आंषिक रूप से अनुपालना की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) मन्दिर की बैलेंस स्टेटमैंट चार्टड अकाऊंटैन्ट से तैयार करवाई गई जो वर्ष 2009–10 से आरम्भ की गई।

(2) मन्दिर के एसेटस की वार्षिक सत्यापन (Physical Verification) आयुक्त मन्दिर द्वारा नहीं करवाया जा रहा है।

(3) मन्दिर का वार्षिक बजट वर्ष 2008–09 से तैयार करके भाषा संस्कृति विभाग को भेजे जा रहे हैं।

(4) संषोधित अधिनियम 2007 में ₹50000 ⁄ –से अधिक राशि से सम्बन्धित कार्यों की स्वीकृति मुख्य आयुक्त मन्दिर सचिव (भाषा–संस्कृति) द्वारा प्रदान की जाती है परन्तु इस न्यास में निर्माण कार्य अभी तक मास्टर प्लान में शामिल नहीं किए जा रहे थे यद्यपि कार्य प्राक्कलन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शडयूल रेट, जस्टीफिकेषन इत्यादि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित थे। अंकेक्षण के दौरान स्वीकृति सम्बन्धी समस्त प्रकरण बारे सरकार के निर्णय अनुसार परामर्ष दिया गया।

23 मन्दिर न्यास द्वारा बर्तन, फर्नीचर व अन्य वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि सभी प्रकार की वस्तुओं की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में क्रमवार की जाती है जिस कारण किसी निष्चित तिथि को यह स्पष्ट नहीं होता कि किस तिथि को कौन सी वस्तु स्टॉक में कितनी मात्रा में उपलब्ध है जो कि अनियमित है। प्रत्येक वस्तु को मदवार गणना करके स्टाक रजिस्टर में अलग–अलग पृष्ठ पर दर्ज की जाए ताकि प्रथम दृष्टया देखा जा सके कि किस तिथि को किस वस्तु की कितनी मात्रा शेष है। इस के अतिरिक्त स्टोर व स्टॉक की प्रत्यक्ष सत्यापना (Physical Verification) सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की जाती। यह गम्भीर अनियमितता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्टोर ⁄ स्टॉक को वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापना की व्यवस्था की जाए व उसके परिणामों से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

24 efUnj U;kl e rukr depkfj;k d lok fu;e u cuk;k tkuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास में तैनात कर्मचारियों के सेवा नियम नहीं बनाए गए थे तथा न ही सेवा पंजिका बनाई गई थी जिसके अभाव में कर्मचारियों को देय अवकाश, काटा गया अवकाश व शेष अवकाश की पड़ताल नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त सेवा नियम के न होने से वेतन निर्धारण से सम्बन्धित मामलों की पड़ताल नहीं की जा सकी।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि प्रदेश के अन्य मन्दिर न्यासों की तरह उपरोक्त न्यास में भी कर्मचारियों के सेवा नियम बनाए जाएं ताकि वेतन/अवकाश से सम्बन्धित मामले नियमानुसार निपटाए जा सकें।

25 हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान पूर्व विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक मन्दिर के सरकार द्वारा अधिग्रहण के समय मन्दिर में स्थित चल एवं अचल सम्पति से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना आपेक्षित था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त रजिस्टर नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था। उपरोक्त रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए तथा मन्दिर अधिग्रहण से पहले व बाद में निर्मित की गई समस्त चल व अचल सम्पति को उक्त रजिस्टर में शीघ्र दर्ज करके उच्चाधिकारियों द्वारा सत्यापन करने के उपरान्त आवष्यक पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

26 अंकेक्षण के दौरान रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि यह रजिस्टर पूर्ण रूप से नहीं भरा गया था तथा केवल क्रय की गई रसीद बुकों की संख्या को ही इस में दर्ज किया गया था जबकि कितनी रसीद बुकें किस तिथि को जारी की गई एवं कितनी रसीद बुकें किस तिथि को जारी की गई एवं कितनी रसीद बुकें स्टॉक में शेष थी, का विवरण उपरोक्त स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्षाया गया था। इसके अतिरिक्त रसीद बुकों का उपयोग क्रमानुसार नहीं किया गया था जो कि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देते हुए रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर को नियमानुसार पूर्ण रूप से भरा जाए व रसीद बुकों का उपयोग क्रमानुसार किया जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

27 y?k vkifÙk foojf.kdk ¼& यह अलग से जारी नहीं की गई। लघु आपत्ति का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

28 fu"d"k ¼& लेखों में सुधार की आवष्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाने की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)190/96–खण्ड–2, दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

ithdr ¼& 1- मन्दिर अधिकारी श्री दुर्गामाता मन्दिर हाटकोटी, जिला षिमला हिमाचल प्रदेश को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

2- उपायुक्त षिमला, जिला षिमला (हिमाचल प्रदेश)।

3- सचिव (भाषा विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

4- निदेषक (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vuil dqekj½